"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 59] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 10 फरवरी 2023 — माघ 21, शक 1944

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 10 फरवरी 2023

क्रमांक 1761/डी. 10/21–अ/प्रारू./छ.ग./23.— छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर दिनांक 03–03–2022 को राज्यपाल एवं दिनांक 01–02–2023 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मोहन प्रसाद गुप्ता, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 1 सन् 2023)

सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) (छत्तीसगढ़ संशोधन) अधिनियम, 2021.

छत्तीसगढ़ राज्य को लागू हुए रूप में सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन कां प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 (2003 का सं. 34) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम।

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) (छत्तीसगढ़ संशोधन) अधिनियम, 2021 कहलायेगा।

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा 3 का संशोधन.

2. सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 (2003 का सं. 34) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) की धारा 3 के खण्ड (ङ) के पश्चात्, निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये, अर्थात्:–

''(ङङ) '' हुक्का बार'' से अभिप्रेत है एक ऐसा प्रतिष्ठान, जहां लोग तंबाकू के साथ धूम्रपान करने के लिये एकत्रित होते है और/या किसी सामुदायिक हुक्का या नरगिल (गड़गड़ा) से कोई अन्य स्वाद, जो व्यक्तिगत और/या सामूहिक रूप से, प्रदाय किया जाता है।''

अधिनियम (2003 का सं. 34) में नवीन धारा 4क एवं 4ख का अन्तःस्थापन.

3. मूल अधिनियम की धारा 4 के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:–

"4क. हुक्का बार पर रोक.– इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई भी व्यक्ति, स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति की ओर से, कोई हुक्का बार नहीं खोलेगा या हुक्का बार नहीं चलाएगा या भोजनालय सहित किसी भी स्थान पर ग्राहकों को हुक्का नहीं देगा।"

स्पष्टीकरण:–शब्द "भोजनालय" से अभिप्रेत है कोई ऐसा स्थान, जहां किसी भी प्रकार का भोजन या जलपान, जो आगंतुकों के लिए उपलब्ध कराया जाता है, और उपभोग के लिए बेचा जाता है।

4ख. हुक्का बार में हुक्के के माध्यम से धूम्रपान पर रोक.– कोई भी व्यक्ति, किसी भी सामुदायिक हुक्का बार में हुक्का या नरगिल (गड़गड़ा) के माध्यम से धूम्रपान नहीं करेगा।"

4. मूल अधिनियम की धारा 12 की उप–धारा (1) में,– धारा 12 का संशोधन.

(एक) खण्ड (ख) में, पूर्ण विराम चिन्ह "।" के स्थान पर, अर्धविराम चिन्ह तथा शब्द "; या" प्रतिस्थापित किया जाये।

(दो) खण्ड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:–

"(ग) जहां कोई हुक्का बार चलाया जा रहा है।"

5. मूल अधिनियम की धारा 13 के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:– अधिनियम (2003 का सं. 34) में नवीन धारा 13क का अन्तःस्थापन.

"13क. हुक्का बार के मामले में जब्त करने की शक्ति.– यदि कोई पुलिस अधिकारी/आबकारी अधिकारी, जो राज्य सरकार द्वारा अधिकृत हो, और जो उप–निरीक्षक की श्रेणी से निम्न का न हो, के पास यह विश्वास करने का कारण है कि धारा 4क के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है या उनका उल्लंघन किया जा रहा है, वह हुक्का बार के विषय या साधन के रूप में उपयोग की जाने वाली किसी भी सामग्री या वस्तु को जब्त कर सकेगा।"

अधिनियम (2003 का सं. 34) में नवीन धारा 21क एवं 21ख का अन्त1:स्था2प्न

6. मूल अधिनियम की धारा 21 के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:–

"21क. हुक्का बार चलाने के लिए दण्ड.– जो कोई, धारा 4क के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, वह ऐसे कारावास, जो कि तीन वर्ष तक का हो सकेगा, किन्तु जो एक वर्ष से कम नहीं होगा और जुर्माना, जो कि पचास हजार रुपये तक का हो सकेगा, किन्तु जो दस हजार रुपये से कम नहीं होगा, से दंडनीय होगा।

21ख. हुक्का बार में हुक्का के माध्यम से धूम्रपान के लिए दण्ड.– जो कोई, धारा 4ख के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, उसे ऐसे जुर्माने, जो कि पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा, किन्तु जो एक हजार रुपये से कम नहीं होगा, से दंडित किया जाएगा।"

अधिनियम (2003 का सं. 34) में नवीन धारा 27क का अन्तःस्थापन.

7. मूल अधिनियम की धारा 27 के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:–

"27क. धारा 4क के तहत अपराध का संज्ञेय तथा अजमानतीय होना.– इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, धारा 4क के तहत कारित अपराध, संज्ञेय तथा अजमानतीय होगा।"

CHHATTISGARH ACT

(NO. 1 OF 2023)

THE CIGARETTES AND OTHER TOBACCO PRODUCTS (PROHIBITION OF ADVERTISEMENT AND REGULATION OF TRADE AND COMMERCE, PRODUCTION, SUPPLY AND DISTRIBUTION) (CHHATTISGARH AMENDMENT) ACT, 2021

An Act further to amend the Cigarettes and Other Tobacco Products (Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce, Production, Supply and Distribution) Act, 2003 (No. 34 of 2003) in its application to the State of Chhattisgarh.

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixty-second Year of the Republic of India, as follows:-

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Cigarettes and Other Tobacco Products (Prohibition of advertisement and Regulation of Trade and Commerce, Production, Supply and Distribution) (Chhattisgarh Amendment) Act, 2021.

(2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

Amendment of Section 3.

2. After clause (e) of Section 3 of the Cigarettes and Other Tobacco Products (Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce, Production, Supply and Distribution) Act, 2003 (No. 34 of 2003), (hereinafter referred to as the Principal Act), the following shall be inserted, namely:-

"(ee)"**hookah bar**" means an establishment where people gather to smoke with tobacco and/ or any other flavour from a community hookah or narghile which is provided individually and/ or group;"

Insertion of new Section 4A and 4B in Act 34 of 2003.

3. After Section 4 of the Principal Act, the following shall be added, namely:-

"**4A. Prohibition of hookah bar.-** Notwithstanding anything contained in this Act, no person shall, either on his own or on behalf of any other person, open or run any hookah bar or serve hookah to customers in any place, including eating house.

Explanation.-The term "eating house" means any place where food or refreshment of any kind are provided for visitors, and sold for consumption.

4B.Prohibition of smoking through hookah in hookah bar.-No person shall smoke through hookah or narghile in any community hookah bar."

4. In sub-section (1) of Section 12 of the Principal Act,- **Amendment of Section 12.**

(i) in clause (b), for the punctuation full stop ".", the punctuation semi colon and word ";or" shall be substituted.

(ii) after clause (b), the following shall be added, namely:-

"(c) Where any hookah bar is being run."

5. After Section 13 of the Principal Act, the following shall be added, namely:- **Insertion of new Section 13A in Act 34 of 2003.**

"**13A. Power to seize in case of hookah bar.-** If any Police officer/Excise officer, not below the rank of a Sub-Inspector, authorized by the State Government, has reason to believe that the provisions of Section 4A have been, or are being, contravened, he may seize any material or article used as a subject or means of hookah bar."

6. After Section 21 of the Principal Act, the following shall be added, namely:- **Insertion of new Section 21A in Act 34 of 2003.**

"**21A. Punishment for running hookah bar.**-Whoever Contravenes the provisions of Section 4A shall be punishable with imprisonment which may extend to three years but which shall not be less than one year and with fine which may extend to fifty thousand rupees but which shall not be less than ten thousand rupees.

21B. Punishment for smoking through hookah in hookah bar.- Whoever Contravenes the provisions of Section 4B shall be punishable with a fine which may be upto five thousand rupees but which shall not be less than one thousand rupees."

Insertion of new Section 27A in Act 34 of 2003.

7. After Section 27 of the Principal Act, the following shall be added, namely:-

"**27A. Offence under Section 4A to be cognizable and non-bailable.-** Notwithstanding anything contained in this Act, an offence under Section 4A shall be cognizable and non-bailable."

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2023.